



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2019/माघ 9, 1940

No. 58]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2019/MAGHA 9, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

सं. 02/2019-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 60(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 798(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

- I. क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (ii) को निरसित कर दिया जाएगा;
- II. क्रम संख्या 7ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“7घ	कोई भी अध्याय	निम्न से भिन्न इनपुट्स या कच्चा माल: - (i) लीथियम आयन सेल (जो कि टैरिफ मद 8507 60 00 के अंतर्गत आता है); और (ii) प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एसेंबली (PCBA) (जो कि टैरिफ मद 8507 90 90 के अंतर्गत आता है),	शून्य	1

		सेलुलर मोबाइल फोन के बैट्री पैक के विनिर्माण में प्रयोग में लाए जाने के लिए		
7ड.	कोई भी अध्याय	निम्नलिखित सामानों के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एसेंबली (PCBA) (जो कि टैरिफ मद 8507 90 90 के अंतर्गत आता है) के विनिर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले इनपुट्स, पुर्जे या उपपुर्जे, यथा: - (i) सेलुलर मोबाइल फोन के बैट्री पैक; (ii) लीथियम आयन का पावर बैंक	शून्य	1”;

III. क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“ निम्नलिखित वस्तुओं से भिन्न कोई भी वस्तुएं, यथा:—

(i) सेलुलर मोबाइल फोन के बैट्री पैक;

(ii) पावर बैंक”;

IV. क्रम संख्या 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“17क	8507 60 00	सेलुलर मोबाइल फोन के बैट्री पैक के विनिर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले लीथियम आयन सेल ।	5%	1
17ख	8507 60 00	लीथियम आयन के पावर बैंक के विनिर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले लीथियम आयन सेल ।	5%	1” ;

V. क्रम संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“20	8517 62 90 या 8517 69 90	निम्नलिखित वस्तुओं से भिन्न सभी वस्तुएं: - (क) कलाई में पहनी जाने वाली वस्तुएं (सामान्यता जिन्हें स्मार्ट घड़ियों के नाम से जाना जाता है); (ख) आप्टिकल ट्रांसपोर्ट इक्युपमेंट; (ग) एक या एक से अधिक पैकट आप्टिकल ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट या स्विच (POTP या POTS) का संयोजन; (घ) आप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्रोडक्ट (OTN); (ङ.) आईपी रेडियो; (च) सॉफ्ट स्विचिस और वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) इक्युपमेंट, जैसे कि वीओआईपी फोन, मीडिया गेटवे, गेटवे कंट्रोलर्स और सेशन बार्डर कंट्रोलर्स; (छ) कैरिअर इथरनेट स्विच, पैकेट ट्रांसपोर्ट नोड (PTN) प्रोडक्ट्स, मल्टीप्रोटोकॉल लेबलस् स्विचिंग ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल (MPLS-TP) प्रोडक्ट्स; (ज) मल्टीपल इनपुट/मल्टीपल आउटपुट (MIMO) और लॉग टर्म इवोलुशन (LTE) प्रोडक्ट्स	10%	-” ;

VI. क्रम संख्या 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 30 जनवरी, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/418/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 798(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 75/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 जिसे सा.का.नि. 1028(अ), दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2019

No. 02/2019–Customs

G.S.R. 60(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 57/2017- Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 798 (E), dated the 30th June, 2017, namely:—

1. In the said notification, in the TABLE,—

- I. against serial number 7, in column (3), the item (ii) shall be omitted;
- II. after serial number 7C and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“7D	Any Chapter	Inputs or raw material other than:— (i) Lithium ion cell (falling under tariff item 8507 60 00); and (ii) Printed Circuit Board Assembly (PCBA) (falling under tariff item 8507 90 90), for use in manufacture of Battery pack of Cellular mobile phones.	Nil	1
7E	Any Chapter	Inputs, parts or sub-parts for use in the manufacturing of Printed Circuit Board Assembly (PCBA) (falling under tariff item 8507 90 90) of following goods, namely:— (i) Battery pack of cellular mobile phones; (ii) Power Bank of lithium ion.	Nil	1”;

III. against serial number 16, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely: —

“All goods other than following goods, namely: —

(iii) battery pack of cellular mobile phones;

(iv) Power Bank”;

IV. after serial number 17 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“17A	8507 60 00	Lithium ion cell for use in the manufacture of battery pack of cellular mobile phone.	5%	1
17B	8507 60 00	Lithium ion cell for use in the manufacture of power bank of Lithium ion.	5%	1”;

V. for serial number 20 and the entries relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely: —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“20	8517 62 90 or 8517 69 90	All goods other than the following goods, namely: - (a) Wrist wearable devices (commonly known as smart watches); (b) Optical transport equipment; (c) Combination of one or more of Packet Optical Transport Product or Switch (POTP or POTS); (d) Optical Transport Network (OTN) products; (e) IP Radios; (f) Soft switches and Voice over Internet Protocol (VoIP) equipment, namely, VoIP phones, media gateways, gateway controllers and session border controllers; (g) Carrier Ethernet Switch, Packet Transport Node (PTN) products, Multiprotocol Label Switching Transport Profile (MPLS-TP) products; (h) Multiple Input/Multiple Output (MIMO) and Long Term Evolution (LTE) products	10%	-”;

VI. serial number 21 and entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall be effective from the 30th January, 2019.

[F. No. 354/418/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No.57/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 798(E), dated the 30th June, 2017 and last amended, *vide*, notification No. 75/2018-Customs, dated the 11th October, 2018, published, *vide*, number G.S.R. 1028(E), dated the 11th October, 2018.